रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2011/माघ 20, 1932

No. 65] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2011/MAGHA 20, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 76(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड (ठ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान नियम, 2011 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2011 को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**–इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''अधिनियम'' से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) ''समिति'' से नियम 7 के अधीन गठित सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

(ग) ''पाठयक्रम'' से ऐसे विषयों के संबंध में अध्ययन के पाठ्यक्रम अभिप्रेत है जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(घ) ''संस्थान'' से भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान अभिप्रेत है;

(ङ) ''निदेशक (भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान)'' से संस्थान का प्रधान अभिप्रेत है;

(छ) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ।

3. **संस्थान में चलाए जाने वाले पाठयक्रम.**–(1) संस्थान में उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों सहित विधिक माप विज्ञान और अन्य सहबद्ध विषयों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे ।

(2) विशिष्ट प्रयोजन के लिए ऐसे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम होंगे और ऐसी अवधि के लिए हो सकेंगे जिसकी समिति सिफारिश करें।

4. **संस्थान के आवद्धकर कृत्य.-** संस्थान प्रशिक्षण सुकर बनाने की दृष्टि से-

(क) विधिक माप विज्ञान और ज्ञान की अन्य शाखाओं पर ऐसी पुस्तकों, निर्देशिकाओं, पुस्तिकाओं, नियत कालिक पत्रिकाएं, अनुदेश पत्रों, टिप्पण, कागज-पत्र अथवा अन्य दस्तावेजों को तैयार करना, मुद्रण करना या प्रकाशन करेगा जिनकी समिति द्वारा सिफारिश की गई हों;

(ख) इसके परिसरों में ऐसे उपस्कर लगाएगा अथवा ऐसी प्रयोगशालाओं का रख-रखाव करेगा, जो निदेशक की राय में इसके कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हो;

(ग) पूर्व स्नातकों अथवा स्नातकोत्तर छात्रों या दोनों को विधिक माप विज्ञान और ज्ञान की सम्बद्ध शाखाओं में बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों, इंजीनियरी और तकनीकी महाविद्यालयों को बढ़ावा देने के लिए स्कीमों को तैयार करना और कार्यान्वित करना;

(घ) विधिक माप विज्ञान से संबंधित विधियों के उचित कार्यान्वयन के लिए अत्यधिक व्यवहारिक संस्थागत विधिक और प्रशासनिक ढांचे के संबंध में अध्ययनों के लिए स्कीमें तैयार करना;

(ड.) भारत में या भारत से बाहर, किसी अन्य अभिकरण या संगठन के साथ संबंध और सहयोग स्थापित करना, जिसका विधिक माप विज्ञान में प्रशिक्षण के संबंध में उपयोगी कृत्य हो सकते हैं;

(च) विधिक माप विज्ञान और ज्ञान की सम्बद्ध शाखाओं में अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तकालय का निर्माण और उसका रख-रखाव करना।

5. **संस्थान में प्रवेश के लिए पात्र व्यक्तियों की अर्हताएं.-** संस्थान में तब तक किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित खण्डों में से किसी एक की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, अर्थात्:-

(क) कि वह केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विधिक माप विज्ञान से संबंधी किसी विभाग में नियोजित किया गया है; और या

(i) विज्ञान (विषयों में एक भौतिक विषय के साथ) प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग में डिग्री; या

(ii) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा; और उस सरकार द्वारा जिसमें वह इस प्रकार नियोजित है, के द्वारा संस्थान में प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया हो:

परन्तु ऐसे नियोजित व्यक्ति के संबंध में शैक्षिक अर्हता की अपेक्षा नहीं है जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को विधिक माप विज्ञान अधिकारी के रूप में पहले से ही नियोजित है या विधिक माप विज्ञान अधिकारी की प्रोन्नति के लिए अर्हक रखता है;

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति, जो इस प्रकार नियोजित है, ऐसा व्यक्ति इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सरकार द्वारा नियोजित किया गया है, उक्त सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या उसके समतुल्य रखता है, जिसने दो वर्ष से अनन्य किसी अवधि का विधिक माप अनुभव रखता है;

परन्तु जहां राज्य सरकार द्वारा नियोजित अन्य कोई व्यक्ति उक्त सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया हो तो केंद्रीय सरकार शैक्षिक अर्हताओं में छूट दे सकती है यदि ऐसे प्रायोजित व्यक्ति का विधिक माप विज्ञान में दो वर्ष से अन्यून किसी अवधि का क्षेत्र का अनुभव हो और केंद्रीय सरकार द्वारा अन्यथा उसे प्रशिक्षण कार्यक्रम लेने के लिए उपयुक्त समझा गया है;

(ख) कि भारत से बाहर विधिक माप विज्ञान संबंधी किसी विभाग में उसका नियोजित हो और ऐसी डिग्री या डिप्लोमा रखता हो जो खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किसी डिग्री अथवा डिप्लोमा के समतुल्य है और उक्त देश की सरकार द्वारा जहां पर वह नियोजित है, के द्वारा प्रायोजित किया गया हो।

परन्तु भारत से बाहर किसी देश में नियोजित किसी व्यक्ति के मामले में, जो उक्त देश की सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है, केंद्रीय सरकार, शैक्षिक अर्हताओं में छूट दे सकेगी यदि ऐसे प्रायोजित व्यक्ति को केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेने के लिए अन्यथा उपयुक्त समझा गया है।

(ग) वह किसी औद्योगिक इकाई में नियोजित है और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित परीक्षा अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है या उसके पास खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट

डिग्री या डिप्लोमा हो और उस औद्योगिक इकाई द्वारा प्रायोजित किया गया हो, जिसमें वह नियोजित है।

(घ) वह उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों से संबंधित है।

6. संस्थान में प्रवेश का विनियमन.-

संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश निदेशक द्वारा विधिक माप विज्ञान के क्षेत्र में अनुभव की अवधि के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों में प्रदान किया जाएगा।

7. **सलाहकार समिति.**- (1) केंद्रीय सरकार उसे संस्थान के कृत्यों और विकास के संबंध मे या संस्थान से संबंधित अन्य ऐसे मामलों के संबंध में जिन्हें सरकार समिति को संदर्भ करने के लिए आवश्यक समझती हो, सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करेगी।

(2) केंद्रीय सरकार माप विज्ञान, विधि या लोक प्रशासन में अनुभव रखने वाले 13 से अन्यून और 15 सदस्यों के अनधिक से मिलकर बनी एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगी।

(3) समिति के सदस्यों को किसी बैठक में उपस्थित होने वाले यात्रा और अन्य व्यय को यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त ऐसे नियमों के अनुसार यथास्थिति विनियमित होंगे या राज्य सरकार, जो ऐसे मामलों के संबंध में उस प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी, जिसको निमित्त या जिसके अनुरोध पर, संबंधित सदस्य बैठक में भाग ले रहे हैं।

(4) उप-नियम (2) यथा उपबंधित के सिवाय समिति के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी;

परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी सदस्य को इस नियम के अधीन उसे नामनिर्दिष्ट करने के लिए किसी संभावित अवधि के लिए पुन: नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि यदि समिति को पदावधि समाप्त होने के बाद गठित नहीं किया जाता है तो इसके सदस्यों की पदावधि एक वर्ष और बढ़ जाएगी या जब तक समिति इस नियम के अधीन सम्यक रूप से पुनर्गठित नहीं हो जाती है अथवा जो भी पहले हो।

(5) समिति ऐसे कार्य समूहों का गठन कर सकेगी जिसे वह ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए उचित समझती है जो ऐसे कार्यदलों को सौंपे जा सकेंगे।

(6) निदेशक प्रत्येक कार्य समूह का योजक होगा और ऐसे प्रत्येक कार्य दल का पदेन सदस्य होगा।

(7) निदेशक समिति को और समिति द्वारा गठित किसी कार्यदल को भी सचिवालीय सहायता प्रदान करेगा।

8. संस्थान की प्रमाणपत्र, डिप्लोमा देने की शक्तियां.- संस्थान, किसी व्यक्ति को जिसने संस्थान में सफलतापूर्ण प्रशिक्षण पूर्ण किया हो, ऐसे प्रवीणता प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा प्रदान कर सकेगा, जिसकी समिति सिफारिश करे।

9. फीसें.- संस्थान ऐसी फीसें प्रभारित कर सकेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में इसके द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी आदेश द्वारा अनुमोदित किए गए हो।

10. निरसन और व्यावृत्ति.- (1) भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान नियम, 1980 (इसके अधीन उक्त नियमों के रूप में कहा जाएगा) को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। परन्तु यह है कि ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा:-

(क) उक्त नियमों का पूर्व प्रचालन अथवा कुछ किया गया अथवा किया जाने के लिए छोड़ा गया अथवा उसमें हुई क्षति; अथवा

(ख) उक्त नियमों के अधीन प्राप्त, प्रोदभूत अथवा उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व अथवा उत्तरदायित्व; अथवा

(ग) उक्त नियमों के खिलाफ किए गए किसी अपराध के संबंध में कोई दंड, जब्ती या सजा; अथवा

५१।G।।११-२

(घ) ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, उत्तरदायित्व, दण्ड, जब्ती अथवा सजा जैसाकि उपर्युक्त कहा गया है, के संबंध में कोई छानबीन, कानूनी कार्रवाही अथवा उपाय और ऐसी कोई छानबीन, कानूनी कार्रवाही अथवा उपाय शुरू, जारी अथवा लागू किया जाए और ऐसा कोई दण्ड, जब्ती अथवा सजा को अधिरोपित किया जाए यदि उक्त नियमों को निरस्त नहीं किया गया ।

(2) ऐसे किसी निरसन के होते हुए भी किया गया या की गई कोई कार्यवाही या किए जाने के लिए तात्पर्यित या पत्र या प्रदत्त छूट, संग्रहीत फीस, कोई न्यायनिर्णय, जांच या आरंभ किया अन्वेषण, बाट और माप के विनिर्माताओं, व्यौहारियों और आयातकों की अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण, गैर मानक बाट और माप, कारण बताओ नोटिस, विनिश्चय, अवधारण, अनुमोदन, उक्त नियमों के अधीन जारी, दिया गया अथवा किया गया प्राधिकार, यदि उक्त नियमों के प्रारंभ होने के समय प्रवृत है तो प्रवृत रहेंगे और उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानो वे इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी किए, दिए अथवा किए गए हैं।

(3) इन नियमों के उपबंध, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को किए गए किसी आवेदन या इन नियमों के प्रारंभ पर प्रशिक्षण और छूट के लिए उक्त नियमों के अधीन किए गए किसी आवेदन पर तथा उसके पश्चात किसी कार्रवाई पर और उसके अनुसरण में अनुदत्त किसी रजिस्ट्रीकरण पर लागू होंगे।

(4) इन नियमों के प्रारंभ में उक्त नियमों के अधीन किसी न्यायालय में लंबित कोई विधिक कार्रवाई उस न्यायालय में उसी प्रकार जारी रह सकेगी मानो ये नियम विरचित नहीं किए गए हों।

(5) यथास्थिति उक्त नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को की गई कोई अपील और उसका लंबित होना इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएंगी।

[फा. सं. डब्ल्यू एम 9(6)/2010-पार्ट]

राकेश कक्कड़, विशेष सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2011

G.S.R. 76(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (l) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Indian Institute of Legal Metrology Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2011.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise required:-

(a) "Act" means the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010).

(b) "Committee" means the Advisory Committee constituted under rule 7;

(c) "Course" means a course of study in relation to such subjects as may be specified in the regulations;

(d) "Institute" means the Indian Institute of Legal Metrology;

(e) "Director (Indian Institute of Legal Metrology)" means head of the Institute;

(f) "Regulation" means the regulations made by the Central Government under the Act.

3. **Courses to be imparted at the Institute.-** (1) There shall be imparted at the Institute long-term and short-term training courses in legal metrology and other allied subjects including consumer protection activities.

(2) There shall be such refresher course for specific purpose and for such duration as the Committee may recommend.

4. Obligatory functions of the Institute.- With a view to facilitation training, the Institute shall- (a) prepare, print or publish such books, manuals , handbooks, periodicals, instruction sheets, notes, papers or other documents on legal metrology and other branches of knowledge as may be recommended by the Committee;

(b) install in its premises such equipment and maintain such laboratories as may, in the opinion of the Director, be necessary for the proper discharge of its functions;

(c) prepare and implement schemes to stimulate universities, engineering and technical colleges to impart basic education in legal metrology and allied branches of knowledge to under-graduate or post gradate students or both;

(d) prepare schemes for studies with regard to the Institutional legal and administrative framework most conductive to the proper implementation of the law relating to legal metrology;

(e) establish relations and co-operation with any other agency or organisation, whether in India or outside, which may have a useful function in relation to training in legal metrology;

(f) establish and maintain a library to encourage study of and research in legal metrology and allied branches of knowledge.

5. Qualification of persons to be eligible for admission in the Institute.- No person shall be admitted to the Institute unless he satisfies the requirements of any one of the following clauses, namely:-

(a) that he is employed by the Central Government or any State Government in any Department dealing with Legal Metrology and either holds-

(i) a degree in Science (with Physics as one of the subjects), technology or engineering, or

(ii) a diploma in engineering; and has been sponsored for training at the Institute by the Government by which he is so employed:

Provided that the educational qualification is not required in respect of persons who are already employed as legal metrology officers or eligible for promotion to

legal metrology officer on the date of commencement of these rules:

Provided further that a person so employed holding a degree of a recognised university or equivalent may also be sponsored by the Government by which he is so employed, if such person having been employed by that Government before the commencement of these rules, has acquired experience in legal metrology for a period of not less than two years:

Provided that where any other person employed by the State Government is sponsored by that Government, the Central Government may relax the educational qualifications if the person so sponsored has field experience in legal metrology for a period of not less than two years and he is considered by the Central Government to be otherwise suitable for undergoing the course of training.

(b) that he is employed in a country outside India in any department dealing with legal metrology and holds degree or diploma which is equivalent to a degree or diploma specified in clause (a) and has been sponsored by the Government of that Country in which he is so employed:

Provided that in the case of a person employed in a country outside India, who is sponsored by the Government of that country, the Central Government may relax the educational qualification if the person so sponsored is considered by the Central Government to be other wise suitable for undergoing the course of training.

(c) that he is employed in an industrial unit and has passed the examination conducted by the Industrial Training Institute or an equivalent examination or holds a degree or diploma specified in clause (a) and has been sponsored by the industrial unit in which he is so employed.

(d) that he is connected with consumer protection activities.

6. Regulation of admission to the Institute.- The admission to the various courses, run by the Institute shall be made by the Director, from amongst the eligible candidates on the basis of the length of experience in the field of legal metrology.

4919GI/11-3.

7. Advisory Committee.- (1) The Central Government shall constitute an advisory Committee for advising it in relation to the functions and development of the Institute or in relation to such other matters concerning the Institute as that Government may consider necessary to refer to the Committee.

(2) The Central Government may constitute an advisory committee which shall consist of not less than 13 and not more than 15 members having experience in metrology, law or public-administration.

(3) The traveling and other expenses of the members of the committee for attending any meeting thereof shall be regulated in accordance with such rules, made by the central Government or, as the case may be, the State Government which are in force for the time being, in relation to such matters and shall be borne by the authority on whose behalf or at whose instance, the members concerned is attending the meeting.

(4) Save as otherwise provide in sub-rule (2), the term of the office of the members of the Committee shall be three years:

Provided that a member may be re-nominated for a like period by the authority competent to nominate him under this rule:

Provided further that if the Committee is not reconstituted after the expiry of the term of office, the term of office of its members shall stand extended for one year or until the Committee is duly reconstituted under this rule, whichever is earlier.

(5) The Committee may constitute such working groups, as it may think fit to consider such matters as may be entrusted to such working groups.

(6) The Director shall be the convener of each working group and shall be an ex-office member of each such working groups.

(7) The Director shall provide secretarial assistance to the Committee and also to any working group constituted by the Committee.

8. Power of Institute to grant certificate, diplomas.- The Institute may award such certificate of proficiency or diploma to the person who has successfully

completed the training at the Institute, as the Committee may recommend.

9. Fees.- The Institute may charge such fees, as may be approved, by an order by the Central Government in this regard, for the services rendered by it in imparting various courses.

10. Repeal and savings.- (1) The Indian Institute of Legal Metrology Rules, 1980 (herein under referred to as the said rules) are hereby repealed.

Provided that such repeal shall not affect:

(a) the previous operations of the said rules or anything done or omitted to be done or suffered therein; or

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said rules; or

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said rules; or

(d) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid.

And any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said rules had not been rescinded.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken or purported to have been done or taken including approval of letter, exemption granted, fees collected, any adjudication, enquiry or investigation commenced, or show cause notice, decision, determination, approval, authorisation issued, given or done under the said rules shall if in force at the commencement of the said rules continue to be in force and have effect as if issued, given or done under the corresponding provisions of these rules.

(3) The provisions of these rules shall apply to any application made to the Central Government or as the case may be the State Government under the said rules for training and relaxation pending at the commencement of these rules and to any proceedings consequent thereon and to any approval granted in pursuance thereof.

(4) Any legal proceeding pending in any court under the said rules at the commencement of these rules may be continued in that court as if these rules had not been framed.

(5) Any appeal preferred to the Central Government or as the case may be the State Government under the said rules and pending shall be deemed to have been made under the corresponding provisions of these rules.

[F. No. WM 9(6)/ 2010-Pt.]

RAKESH KACKER, Spl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.